



परिपत्र सं.: आईआरडीएआई/आरबीसी/सीआईआर/विविध/94/8/2025

Cir No: IRDAI/RBC/CIR/MISC/94/8/2025

दिनांक / Date: 14.08.2025

**परिपत्र**  
**Circular**

प्रति / To,  
सभी बीमाकर्ता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं, लायड्स इंडिया सहित  
All Insurers including Branches of Foreign Reinsurers, Lloyds India

**विषय: मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन-2**  
**Subject: Quantitative Impact Study-2**

1. भारतीय बीमा उद्योग के लिए जोखिम आधारित पूँजी (आरबीसी) ढाँचे का विकास और कार्यान्वयन, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारतीय बीमा उद्योग को सुयोजित करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा की गई विभिन्न अन्य पहलों के बीच एक मुख्य पहल है। इस दिशा में एक मुख्य चरण के रूप में, आईआरडीएआई ने उक्त आरबीसी ढाँचे के प्रारंभिक प्रभाव का आकलन करने के लिए पहला मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस 1) वर्ष 2023 में संचालित किया है।
2. प्रारंभिक प्रभाव अध्ययन से प्राप्त अन्तर्दृष्टियों तथा बीमाकर्ताओं से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह आवश्यक समझा गया कि उक्त ढाँचे में आगे और सुधार लाया जाए तथा दूसरे मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस 2) का संचालन किया जाए।
3. बीमाकर्ता 31 मार्च 2025 को यथाविद्यमान रूप में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त डेटा से युक्त तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज के अनुसार क्यूआईएस 2 कार्यान्वित करेंगे। डेटा प्रस्तुतीकरण टेम्प्लेट सहित तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज तथा परिणामों के प्रस्तुतीकरण के लिए संबद्ध टेम्प्लेट संबंधी अपेक्षाएँ, क्यूआईएस 2 निष्पादन के परिणामों के प्रस्तुतीकरण की पद्धति पूरक सूचना के साथ बीमाकर्ताओं को अलग से सूचित किये जा रही हैं।
4. यह परिपत्र सभी जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया के लिए लागू होगा।
5. उक्त क्यूआईएस 2, जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था में भारतीय बीमा उद्योग के संक्रमण की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। क्यूआईएस 2 के परिणाम बीमाकर्ताओं के द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले प्रस्तुत किये जाएंगे।
6. बीमाकर्ता ध्यान रखें कि यहाँ उल्लिखित तकनीकी मार्गदर्शन केवल क्यूआईएस 2 के प्रयोजन के लिए ही होगा और इसका अर्थ आरबीसी ढाँचे के संबंध में आईआरडीएआई के अंतिम निर्णय के संकेतक के रूप में नहीं समझा जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त क्यूआईएस 2 केवल एक



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

अतिरिक्त प्रयोग है तथा बीमाकर्ता वर्तमान विनियामक व्यवस्था के द्वारा जब भी और जैसे भी नियत होगा और अपेक्षित किया जाएगा तब अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किये गये रूप में विनियामक विवरणियाँ प्रस्तुत करना जारी रखेंगे।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

1. Development and implementation of Risk Based Capital (RBC) Framework for Indian Insurance Industry is one of the key initiative undertaken by IRDAI among various other initiatives to align the Indian Insurance Industry with global best practices. As a key step in this direction, the IRDAI conducted the First Quantitative Impact Study (QIS 1) to assess the RBC framework's initial impact in the year 2023.
2. Basis the insights gained from the initial impact study and suggestions received from the insurers, it was considered necessary to further improve the framework and conduct Second Quantitative Impact Study (QIS 2).
3. Insurers shall carry out the QIS 2 as per the Technical Guidance document with the data used for Actuarial Valuation as at 31<sup>st</sup> March, 2025. Technical Guidance document along with data submission template and requirements regarding associated template for submission of results, mode of submission of results from QIS 2 exercise along with supplementary information are being informed separately to the insurers.
4. This circular shall be applicable to all Life Insurers, General Insurers, Standalone Health Insurers, Reinsurers, Branches of Foreign Reinsurers and Lloyds' India.
5. The QIS 2 shall be the pivotal step towards transition of Indian Insurance Industry to the Risk Based Capital regime. The results of QIS 2 shall be submitted by insurers on or before 15<sup>th</sup> October 2025.
6. The insurers may please note that the Technical Guidance referred here shall be for the purpose of QIS 2 only and shall not be interpreted as indicative of final decision of the IRDAI on RBC framework. It is noteworthy that the QIS 2 is an additional exercise only and insurers shall continue to submit regulatory returns as mandated by the current regulatory regime as and when due.
7. This has approval of the Competent Authority.

हस्ता./sd/-

**मुख्य महाप्रबंधक (बीमांकन) / CGM(Actuarial)**

पृष्ठ / Page 2 / 2